



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 28 सितम्बर, 2015

आश्विन 6, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 1836/छः-पु०-1-15-1300(7)-1994

लखनऊ, 28 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि-57

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सेटबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त निर्गत समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के रेडियो निरीक्षक, रेडियो उप निरीक्षक, प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015

भाग-1-सामान्य

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2-उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य रेडियो निरीक्षक एवं रेडियो उप निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी से है;

(ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ज) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार/अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है;

(ट) 'चयन समिति' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इन नियमों के अनुसार या सरकारी नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम-1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, निम्नलिखित होगी:-

क्र० सं०	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
1	कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड)	110	78	188
2	सहायक परिचालक	700	878	1578
3	प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक)	903	2097	3000
4	रेडियो उप निरीक्षक	466	330	796
5	रेडियो निरीक्षक	45	51	96

परन्तु यह कि:-

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत आवंटन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5-सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:-

भर्ती का स्रोत

(क) कर्मशाला कर्मचारी:-

(एक) 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियो विभाग के कर्मशाला कर्मचारी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह—“घ” के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी / रेडियो एवं टेलीविजन / इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट /मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स /कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) सहायक परिचालक:-

(एक) 90 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियो विभाग के सहायक परिचालक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,

टिप्पणी—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के लिए यथासम्भव पाँच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।

(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक)

(एक) 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियो विभाग के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(दो) 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:— रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) से जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ङ) रेडियो निरीक्षक:— रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होंने रेडियो अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा परन्तु यह और कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिये आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-चार- अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियाँ (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8—(क) **कर्मशाला कर्मचारी:**—

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई0टी0आई0 से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर साइंस /इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी/रेडियो एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग /रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) सहायक परिचालक:-

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक):-

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी/इन्सट्रूमेंटेशन टेक्नोलोजी/मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिंसने:-

अधिमानी
अर्हताएं

(1) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन.आई.ई.एल.आई.टी. सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या

(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:-उपर्युक्त अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी को नियम-15 के अधीन चयन सूची में अधिमान दिया जायेगा।

10-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जायं, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने सहायक परिचालक पद हेतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक की आयु न हो तथा शेष पदों के लिए अभ्यर्थी ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक न हो:

आयु

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों के प्रकाशन के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायं।

11- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

चरित्र

टिप्पणी-संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत् व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:

वैवाहिक
प्रास्थिति

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

शारीरिक
स्वस्थता

टिप्पणी-चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा:

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित शिथिलता प्रदान की जायेगी।

भाग-पाँच -भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :-

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

15-क-आवेदन पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायें, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से जैसा वह आवश्यक समझें उपलब्ध करायी जायेगी।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, अभ्यर्थी अपनी यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमेट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये।

(छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

ख-बुलावा पत्र

अभ्यर्थियों के लिये बुलावा-पत्र परीक्षा के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाऊनलोड कर पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।

कर्मशाला
कर्मचारी,
सहायक
परिचालक,
प्रधान
परिचालक/
प्रधान परिचालक
(यॉन्त्रिक) के पद
पर सीधी भर्ती
की प्रक्रिया

ग-अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाते हैं उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यह परीक्षण परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाएगा। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

घ-शारीरिक दक्षता परीक्षा-

खण्ड "ग" के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी है:

परन्तु, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित शिथिलता प्रदान की जायेगी।

ड-लिखित परीक्षा-

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी:-

विषय अधिकतम अंक

	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
2.	विज्ञान/सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
3.	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
4.	मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

टिप्पणी:-परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-3 में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

च. चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची:-

खण्ड (ड) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी-यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा:-

(1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता(उपर्युक्त नियम-9 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उपर्युक्त के वावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

छ-चिकित्सा परीक्षण

खण्ड (च) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये स्थान पर किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट-4 के अनुसार संचालित होगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

चरित्र सत्यापन

16- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

पदोन्नति द्वारा
भर्ती की प्रक्रिया**17-1-(क) कर्मशाला कर्मचारी:-**

कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो- एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी/रेडियो एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्स्ट्रूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख)-सहायक परिचालक:-

सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी:-पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के लिए यथासम्भव पाँच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।

(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(याँत्रिक):-

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(याँत्रिक) के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(याँत्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-

रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (याँत्रिक) में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ड) रेडियो निरीक्षक:-

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियो अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

2-पदोन्नति हेतु चयन समिति

(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित किया जायेगा और शेष सदस्य शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) निर्विवाद ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा चयन बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ङ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अन्तिम पदोन्नति आदेश निर्गत करने के लिये प्रेषित करेगा।

(च) चयन सूची विभागाध्यक्ष के, अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (Website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग छ: नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18-(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम-15 व नियम-17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तियाँ करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नियम-15 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र में यह अपेक्षा की जायेगी कि वे नियुक्ति पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्ति समझी जायेगी।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि नियम-17 के अन्तर्गत तैयार की गयी संयुक्त चयन सूची में हो:

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19-(1) (क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक) के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) आधारभूत प्रशिक्षण में असफल हुए कैंडिडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा

20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21-(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि:

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22- सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतनमान

वेतनमान

23- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों को ऐसा वेतनमान अनुमन्य होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए जा रहे हैं:-

क्रम सं०	पद का नाम	वेतन बैंड (रुपये)	ग्रेड-पे (रुपये)
1	कर्मशाला कर्मचारी	5200-20200	रु० 2000
2	सहायक परिचालक	5200-20200	रु० 2400
3	प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यांत्रिक)	9300-34800	रु० 4200
4	रेडियो उप निरीक्षक	9300-34800	रु० 4600
5	रेडियो निरीक्षक	9300-34800	रु० 4800

टिप्पणी:-सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होंगे।

परिवीक्षा

अवधि में वेतन

24-(1) फण्डामेंट रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डमेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

25-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। पक्ष समर्थन

26-ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या उपबन्धों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति यथार्थिपुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अन्य उपबन्धों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

27-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा की शर्तों में शिथिलता

28- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृत्ति

परिशिष्ट-1

[नियम-15 (ग) देखें]

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

अभिलेखों की संवीक्षा

1- अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलेक्टर, अध्यक्ष होगा।

(ख) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

2- मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

- 3- अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त गठित दल किसी अन्य राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

नोट:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

- (3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
- (4) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।
- (5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

- (1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
- (2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में

सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा:

- (3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।
- (4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परीणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा :

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट-2

[नियम-15 (घ) देखें]

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

- 1- शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
 - (एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।
 - (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।
 - (तीन) जनपद के वरिष्ठ, पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।
- 2- शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि०मी० की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।
- 3- दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी०सी०टी०वी० कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं प्रतिरूपण से बचने के लिये किया जायेगा।
- 4- दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा:-
 - (क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।
 - (ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

- (ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- (घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।
- (ङ) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
- (च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- (छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ज) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।
- (झ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी:— समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट-3

[नियम-15 (ङ) देखें]

सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया

- (1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। मुंशी (स्काइब) या सहायक को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाईल फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी विज्ञप्ति जारी करते समय दी जायेगी।

- (3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।
- (4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कॉपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कॉपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
- (5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।
- (6) परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।
- (7) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का कम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या कम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।
- (8) सभी प्रश्नों एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेंगी। तथापि एक या अधिक प्रश्नपत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेंगे, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो।
- (9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी।
- (10) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पत्र में संयुक्त कर सकता है।
- (11) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाये तब तक बोर्ड अग्रतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता है जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों।
- (12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप बोर्ड अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है।
- (13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट-4

[नियम-15 (छ) देखें]

सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षा

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

(1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

(2) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबन्धित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।

(4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परन्तु, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी :-चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियाँ यथा-नाक-नी, बी-लेग्स, फ्लैट-फीट, वेशीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक) तथा रीनेज परीक्षण, वेब्सर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है।

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1836/VI-Pu-1-15-1300(7)-1994, dated September 28, 2015 for general information:

No. 1836/VI-Pu-1-15-1300(7)-1994

Dated Lucknow, September 28, 2015

IN exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Armed Constabulary Act, 1948 (U.P. Act no. 40 of 1948) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation *etc.* of officers namely the Workshop Hands, Assistant Operators, Head Operators/Head Operators (Mechanic), Radio Sub-Inspectors and Radio Inspectors of Uttar Pradesh Police Radio.

THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO SUBORDINATE SERVICE RULES, 2015

PART-1-GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Status of the Service

2. The Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service is a Service comprising Group 'C' and Group 'D' posts.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant to the subject or context:-

- (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'Appointing Authority' means the Deputy Inspector General (Police Telecommunication) in the case of Radio Inspectors and Radio Sub-Inspectors and the State Radio Officer in the case of Head Operators/Head Operators (Mechanic)/Assistant Operators and Workshop Hands;

(c) 'Board' means the Police Service Recruitment and Promotion Board established in accordance with Government orders issued from time to time in this regard;

(d) 'Constitution' means Constitution of India;

(e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution of India;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'Government' means the Government of Uttar Pradesh;

(h) 'Head of the Department' means the Director General of Police, Telecommunication/Additional Director General of Police, Telecommunication, Uttar Pradesh;

(i) 'Other backward classes of citizens' means the other backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Act, as amended from time to time;

(j) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service;

(k) 'Selection Committee' means a Selection Committee constituted from time to time by the Board for the selection of candidates for appointment to a posts in the service;

(l) 'Substantive appointment' means an appointment not being on *ad hoc* appointment on a post in the cadre of the service and after selection in accordance with these rules or in accordance with the Government rules;

(m) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II-CADRE

4. (1) The strength of Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Cadre of
Service

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:-

Sl. no.	Name of the Post	Temporary	Permanent	Total
1	Workshop Hand	110	78	188
2	Assistant Operator	700	878	1578
3	Head Operator / Head Operator (Mechanic)	903	2097	3000
4	Radio Sub-Inspector	466	330	796
5	Radio Inspector	45	51	96

Provided that—

(i) The Head of the Department may re-determine the number of posts of various units within the overall sanctioned allocation.

(ii) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(iii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART -III -RECRUITMENTSource of
recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

(a) Workshop Hand -

(i) 75 per cent of the posts shall be filled by direct recruitment by the Board.

NOTE:-Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Workshop Hand in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government.

(ii) 25 per cent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group "D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination and passed certificate examination course in Electronics/Telecommunication/ Electrical/Computer Science/Information Technology/ Radio and Television/ Electric Supply and Manufacturing/Refrigeration/Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(b) Assistant Operator-

(i) 90 per cent of the posts shall be filled by direct recruitment by the Board.

NOTE:-Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Assistant Operator in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government.

(ii) 10 per cent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Workshop Hands, who have successfully obtained Basic Training course for Assistant Operator and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

NOTE:- For promotion purposes permissions will be given to Workshop Hands to obtain Basic Training course for Assistant Operator on the basis of seniority and for every future vacancy to be filled by promotion as possible five Workshop Hands will be sent for this course.

(c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-

(i) 50 per cent of the posts shall be filled by direct recruitment by the board.

NOTE:-Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Head Operator/Head Operator (Mechanic) in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 per cent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Head Operator/Head Operator (Mechanic).

(ii) 50 per cent of the posts shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have successfully passed Training Course for Head Operator/Head Operator (Mechanic) and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(d) Radio Sub-Inspector-

Hundred per cent of the total number of sanctioned posts of Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Head Operator/Head Operator (Mechanic) who have passed Radio Sub-Inspector Course and have completed ten years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(e) Radio Inspector-

Hundred per cent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who have passed Radio Maintenance Course and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and *Ex-Servicemen*) Act, 1993, as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment provided further that Reservation for National / State level players will be in accordance with Government orders for the time being in force.

Reservation

PART -IV -QUALIFICATION

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be -

Nationality

(a) A Citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE:-A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. (a) Workshop Hand -

Academic

Candidate should have passed Intermediate examination by a Board established by law in India or have passed an equivalent examination recognized by Government and have passed certificate examination course in Electronics/Telecommunication/ Electrical/Computer Science/Information Technology/Radio and Television/ Electric Supply and Manufacturing/ Refrigeration/Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/ Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

Qualifications

(b) Assistant Operator-

Candidate should have passed Intermediate examination with physics and mathematics subjects by a board established by law in India or should have passed an examination recognized by the State Government as equivalent thereto.

(c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-

Candidate should have passed three years diploma course in Electronics/ Telecommunication/Electrical/Computer Science/Information Technology/ Instrumentation Technology / Mechanical Engineering by a board established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto

Preferential
qualification

9. Other things being equal, a candidate for direct recruitment shall be given preference who has:-

- (i) 'O' level certificate from DOEACC/NIELIT Society in Computer; or
- (ii) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or
- (iii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

NOTE:-The above mentioned preferential qualifications shall carry no marks but in case two or more candidates obtain equal marks, the candidate having the preferential qualifications shall be given preference under rule 15 of the selection list.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Operator must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 22 years and for the rest of the posts candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 28 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be greater by such number of years as may be specified in the Act and Government orders applicable at the time of publication of vacancy by the Board.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE:-Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to a post in the service, Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of the rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by Medical Board.

NOTE:- The Medical Board shall also examine the candidate for any physical standards prescribed for males and females as the case may be and deficiencies such as Knock Knee, bow-legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, partial or total colour blindness, hearing test comprising of Rinne's test, Webber's test and tests for vertigo, speech defects etc. and examine such other deficiencies as notified by Government from time to time:

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of Uttar Pradesh Public Service (Physically Disabled, Dependent of Freedom Fighter and Reservation for *Ex-servicemen*) Act,1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall also intimate the number of vacancies to the Board and the Government. The vacancies for direct recruitment shall be notified by the Head of the department in the following manner:-

Determination of vacancies

- (i) By issuing advertisement in daily newspaper having maximum circulation;
- (ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;
- (iii) By notifying vacancies to the Employment Exchange; and
- (iv) By any other means of public communication.

15. (a) Application Form:-

- (i) A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one Form, can be rejected by Board.
- (ii) The details of the information regarding educational qualifications, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, written, medical examination *etc.*, minimum qualifying marks for written examination subject-wise and other important guidelines as determined by the Board from time to time shall be made available by the Board on its own website and or by other means as it deems necessary.
- (iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for application, the candidate shall be personally and solely responsible for its accuracy and completeness. If Form of any candidate is found incomplete, wrong or having inaccurate information, it may be cancelled and the decision of the Board in this regard shall be final.
- (iv) An applicant shall certify himself his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.
- (v) In the application Form the detail of the identity, specific identity card number, thumb and finger impression, photographs or bio-metric details will be so included as may be determined by the Board from time to time.
- (vi) The Head of the Department, in consultation with the Board, may fix an application fee for any recruitment.
- (vii) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.
- (viii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.

Procedure for direct recruitment to the post of Workshop Hands, Assistant Operators, Head Operators/ Head Operators (Mechanic)

(b) Call Letters-

Call letter for candidates shall be uploaded by board on its website at least 07 days before the examination, the applicant may download it and carry it for subsequent examinations.

(c) Scrutiny of Documents and Medical Examination-

Candidates whose application is found correct, shall be required to appear for scrutiny of documents and Physical Standard Test. This test will be conducted as per **Annexure-1**. In case any document is found to be manipulated, inaccurate or forged during the scrutiny or at any time after the scrutiny, the candidature of the applicant will be cancelled at the discretion of the Board or the Appointing Authority as the case may be.

(d) Physical Efficiency Test-

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Medical Examination as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. As far as possible, the Board will try to conduct Physical Efficiency Test of candidates on the next day of their Scrutiny of Documents and Medical Examination Test. The procedure for conducting the Physical Efficiency Test shall be as prescribed in **Appendix-2** :

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Physically Disabled, Dependent of Freedom Fighter and Reservation for *Ex-servicemen*) Act, 1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

(e) Written Examination-

The candidates who are declared successful in the Physical Efficiency Test under clause (d) shall be required to appear in the written examination which shall carry 400 marks in the following subjects:-

Subject/ Maximum Marks

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi	100 marks (objective type)
2. Science/ General knowledge	100 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks (objective type)
4. Mental Aptitude Test /I.Q.Test / Reasoning	100 marks (objective type)

NOTE:- The detailed syllabus for the examination will be notified by the Board. The procedure for the conducting the written examination shall be such as is prescribed in **Appendix-3**. Candidates failing to obtain 50% marks in each Subject shall not be eligible for recruitment.

(f) Selection and Final Merit List-

From amongst the candidates found successful in written test, the Board shall prepare, as per the vacancies, a select list of each category of candidates, on the basis of marks obtained by each candidate in written examination under clause (e), keeping in view the reservation policy and send it with recommendations to the Head of the Department subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

NOTE:-If two or more than two candidates obtain equal marks, then their seniority shall be decided in the following manners.

- (1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.

- (2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.
- (3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(g) Medical Test-

The candidates, whose names are in the list sent as per clause (f), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing Authority. Medical Examination will be conducted in the Police Line of the concerned District or at the place mentioned by the Appointing Authority. Medical Examination will be conducted as per **Appendix-4**. Candidate found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing Authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

16. Prior to issuance of appointment letter completion of Character verification shall be performed under the supervision of the Appointing Authority before candidates are sent for training. Verification of character shall ordinarily be completed within a month. On adverse facts being brought to light in the character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the Appointing Authority and such vacancies shall be carried forward for further selection.

Character
verification

17. (1) (a) Workshop Hand -

(i) 25 per cent of the total number of sanctioned posts of Workshop Hands shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group "D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination and passed certificate examination course in Electronics/Telecommunication/Electrical/Computer Science/Information Technology/Radio and Television/ Electric Supply and Manufacturing/ Refrigeration/ Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/ Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

Procedure for
promotion

(b) Assistant Operator-

(i) 10 per cent of the total number of sanctioned posts of Assistant Operator shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Workshop Hands, who have successfully obtained Basic Training course for Assistant Operator and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

NOTE:- For promotion purposes permission will be given to Workshop Hands to obtain Basic Training course for Assistant Operator on the basis of seniority and for every future vacancy to be filled by promotion as possible five Workshop Hands will be sent for this course.

(c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-

50 per cent of the total number of sanctioned posts of Head Operator/Head Operator (Mechanic) shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have successfully passed Training Course for Head Operator/Head Operator (Mechanic) and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(d) Radio Sub-Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Head Operator/Head Operator (Mechanic) who have passed Radio Sub-Inspector Course and have completed ten years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(e) Radio Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who have passed Radio Maintenance Course and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(2) Selection Committee for promotion

(a) The selection committee for promotion shall be constituted by the Board.

(b) The Chairperson of the committee shall be nominated by the Board who shall be not below to the rank of appointing authority of concerned promotional posts. A suitable member of the committee shall be nominated by the Director General of Police, Uttar Pradesh on the proposal of the Head of Department and remaining members be nominated by the Board as per Government Orders.

(c) Undisputed seniority list shall be provided to the board by Headquarter of the Uttar Pradesh Police Radio.

(d) The selection committee shall submit a list of selected candidates, with its recommendation to the Board for the Head of Department through the Director General of Police, Uttar Pradesh. The list shall not exceed the notified vacancies.

(e) After approval of the Head of Department the selection list send to appointing authority for issuing final promotion orders.

(f) The selection list shall be published by the Board on its and Uttar Pradesh Police website after approval of Head of Department.

PART-VI**APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY**

Appointment

18. (1) On substantive vacancies, subject to the provisions of rule-15 and 17 the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list. The Appointing Authority will issue the appointment letter to the candidates selected under rule 15 with an instruction that the selected candidates shall join his service /training within a month or as instructed in the letter. In case a candidate fails to join service/training as per instructions, his selection shall be cancelled :

Provided that any person appointed before the commencement of these rules to any post under the service and continue to work on that post just before the commencement of these rule shall be deemed to have been appointed to that post under these rules and such substantive appointment shall be deemed to have been made under these rules.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection under rule-17, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as placed in the combined select list prepared under rule-17 :

Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rule and is working on that post shall be deemed to have been substantially appointed under these rules and such substantively appointment shall be deemed to have been made under these rules.

19. (1) (a) Workshop Hands, Assistant Operators, Head Operators/Head Operators (Mechanic) finally selected for appointment under rules 15 and 17 shall be required to successfully undergo such training as prescribed by the head of department. The finally selected candidates for basic training if fails to join training in prescribed time, his selection/candidature shall be cancelled. Training

(b) The Head of the Department shall conduct supplementary course and re-examination amongst the cadets who found unsuccessful in Basic Training. The cadets found unsuccessful in supplementary training, their services shall be terminated by the appointing authority.

(2) The candidates appointed by promotion under rules 17 shall be required to successfully undergo such training as prescribed by the Head of Department

20. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. Probation

(2) In probation period, the probationers shall be required to complete such training as prescribed by the Head of Department.

(3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(4) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities according to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (4) shall not be entitled to any compensation.

(6) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. (1) Subject to the provisions of sub rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if— Confirmation

- (a) he has successfully undergone the prescribed training;
- (b) his work and conduct found satisfactory; and
- (c) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

22. Seniority of a person appointed substantively to a post in the services shall be determined by the Uttar Pradesh Government Servant Seniority Rules, 1991 as amended from time to time. Seniority

PART-VII- SCALES

Scales of pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from the time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

Sl.	Name of the Post	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	Workshop Hand	5200-20200	2000
2	Assistant Operator	5200-20200	2400
3	Head Operator/Head Operator (Mechanic)	9300-34800	4200
4	Head Operator/Head Operator (Mechanic)	9300-34800	4600
5	Radio Inspector	9300-34800	4800

NOTE:- Members of the service shall be eligible for special pay/profession pay and other allowances sanctioned by Government from time to time.

Pay during Probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergoing training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that if period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

**PART-VIII
OTHER PROVISIONS**

Canvassing

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. With regard to the matters not specifically covered by these rules or provisions, regulations and orders, persons appointed to the service shall be governed according to the other provisions, regulations and orders made under Police Act as applicable.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX-1

[See rule 15(c)]

Scrutiny of Documents & Physical Standard Test

Scrutiny of the Documents

1. Candidates will be summoned with relevant documents with regard to eligibility, relaxation, preferential qualifications, etc., for scrutiny thereof to be carried out by a committee which will consist of the following members :-

(a) A deputy collector nominated by the District Magistrate of the District will be the Chairman;

(b) A Deputy Superintendent of Police nominated by the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district;

(c) District Inspector of Schools (D.I.O.S) or Basic Siksha Adhikari (B.S.A.) or any other Gazetted officer of the education department nominated by the District Magistrate.

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minority or any other category whose representation is necessary in the above team, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of the Inspector in police department.

1. Original documents shall be checked as per the information provided in the application form.

2. During scrutiny of documents on being referred by any Team because of any doubt or on being brought directly in its notice, the Board may issue directions in this regard. Such directions issued by the Board, shall be final.

Physical Standard Test

The above mentioned committee may take help of any Government employee for conducting Physical Standard Test.

1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) For General/ Other Backward Caste and Scheduled Caste male candidates minimum height is 168 centimetres.

(ii) For Scheduled Tribes male candidates minimum height is 160 centimetres.

(b) Chest:-

For the candidates belonging to General, Other Backward Classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimeters without expansion and at least 84 centimeters with expansion; and for the Scheduled Tribes 77 centimeters without expansion and not less than 82 centimeters on expansion.

NOTE:- Minimum 5 centimetres chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) For General/ Other Backward Caste and Scheduled Caste female candidates minimum height is 152 centimeter.

(ii) For Scheduled Tribe female candidates minimum height is 147 centimetres.

(b) Weight:-

Minimum 40 Kg for female candidates.

3. The minimum physical standards for qualification for each test shall be displayed very prominently on Notice Boards in the venue of examination before conducting the examination.

4. Only standardized equipments having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures are to be used for physical standards test examination.

5. If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he can file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of above nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit and no further appeal will be entertained in this regard.

General Instructions

(1) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the Board for a group of candidates to be tested at a particular time.

(2) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the examination on some other date. The committee, after considering his application, can decide and allow him to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he shall be considered unsuccessful. The candidates may give this application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.

(3) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever.

(4) The candidates will be informed about result of Scrutiny of Documents and Physical Standard Test on the same day:

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of the Uttar Pradesh Public Service (Physically Disabled, Dependent of Freedom Fighter and Reservation for Ex-servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

APPENDIX-2

[See rule 15(d)]

Physical Efficiency Test for direct recruitment

1. The Physical Efficiency Test will be conducted by a team formed by the Board which shall have the following members -

- (i) Sub Divisional Magistrate nominated by District Magistrate of the District;
- (ii) Medical Officer nominated by Chief Medical Officer of the District concerned;
- (iii) Deputy Superintendent of Police nominated by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police.

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minority or any other category whose representation is necessary in the said team, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of Inspector in police department. This team can take the help of any other expert for conducting the examination.

2. The physical efficiency test shall only be of qualifying nature and it will have no effect on the merit list. To become successful in physical efficiency test it shall be necessary to complete 4.8 km. run in 28 minutes for male candidates and 2.4 km. run in 16 minutes for female candidates. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for next stage of examination.

3. Manual timing shall not be permitted to be used by the team. Standardised Electronic Timing Equipment along with CCTV coverage and biometrics with adequate backup will be used to ensure accuracy, transparency and avoid impersonation.

4. The team shall follow the process laid down as under:-

(a) The number of candidates to be tested per day shall be determined by the Board and decided by it depending on the total numbers to be tested and prevailing conditions.

(b) The information of minimum physical standards for qualification as given in clause-2 of this appendix shall be displayed on the notice board at the venue of the test.

(c) The result of this test will be displayed on the notice board at the end of the day, at the venue of the Test and will be uploaded on the Board's website as soon as possible.

(d) The members of the organizational team including testing agency if any who willfully commit an act which is wrong or omit to perform an act and which causes an unfair advantage or disadvantage to any candidate may be liable to Criminal proceedings or Departmental proceedings.

(e) The list of successful and unsuccessful candidates shall be declared by the collective signatures of members of the team.

(f) The outdoor test shall be such that the results are capable of being measured and recorded mechanically without manual intervention. Only standardized equipments preferably having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures shall be used for Physical Efficiency Test.

(g) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the board for a group of candidates to be tested at a particular time.

(h) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the exam on some other date. The committee, after considering his application, may decide and allow him to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he shall be considered unsuccessful. The candidates may give this application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.

(i) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever:

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of Uttar Pradesh Public Service (Physically Disabled, Dependent of Freedom Fighter and Reservation for Ex-servicemen) Regulation, 1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio

NOTE:- Individual privacy will be respected in all video records and the record will be kept in safe custody and will be made available to a court of law when summoned by it, or to an enquiry officer with the permission of the Board.

APPENDIX- 3

[See rule 15 (e)]

Procedure for Written Examination for direct recruitment

(1) In the Written Examination a candidate shall write in his own handwriting. Scribe or assistant shall not be permitted for any reason whatsoever.

(2) If call letter is not received 07 days before the examination, then the board shall ensure arrangements for the candidates to contact the board on helpline/ landline/ mobile phone or download the call letter from the Board's website.

(3) Written Examination shall be conducted on the same day at the same time throughout the State.

(4) For the purpose of the written examination O.M.R. answer sheet shall be in 03 copies, the original copy will be used for scanning, first carbon copy shall be kept for Board's record and second carbon copy shall be for candidate. Candidates will be permitted to take the second carbon copy of O.M.R. answer sheet with them.

(5) After the written examination is over answer sheets will be dispatched to the Board, centre-wise in sealed covers through the safe custody provided by the District Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police.

(6) Answers of the questions asked in the examination shall be uploaded on board's website.

(7) The question papers provided to the candidates shall be such that the sequence of the questions and also the answers to particular questions is randomised. Each question paper shall have a unique identification number or series and, where so instructed, the candidates will be expected to record this on the answer sheet as per the instructions issued by the Board. When instructed to do so, and where the candidates have failed to record the same, the answer sheets will not be evaluated and no marks will accrue to such candidates.

(8) All precautions shall be taken to ensure the correctness of all the questions and answers. However in case of question being wrong in one or more question papers, or in the opinion of the Board, option for answer is not unique or for any other reason which shall be recorded, Board may annul any question. In case of a question being annulled by the Board for any reason the allotted marks for the question shall be awarded to all those candidates who have attempted the question by marking any of the given answer choices.

(9) The Board shall specify detailed syllabus for the examination. However the syllabus will be indicative in nature and after the completion of the examination no appeal or objection will be entertained on the issue of any question being out of syllabus.

(10) The Board may divide the question paper in parts and can put two or more than two subjects or two or more than two question papers serially in one question paper.

(11) The Board may prescribe minimum passing percentage for any examination, which shall be clearly mentioned in the notification of the examination, and until the Board is satisfied otherwise, the Board will not further examine any candidate who are unsuccessful in previous stage.

(12) As a result of any signature, writing a name or improper sign by a candidate on the answer sheet, except as per the instructions given to the candidates, the candidature of the candidate can be cancelled by the Board.

(13) If a candidate is found copying in the exam or is found using unfair means, then the Board can cancel the candidature of such candidate and the decision of Board in this regard shall be final.

APPENDIX-4

[See rule 15(g)]

Medical Examination for direct recruitment

The Appointing authority will request the Chief Medical Officer of the concerned District to constitute Medical Board for conducting Medical Examination. The Medical Board will consist of three Doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by Head of Department in consultation with Director General of Medical Health. This form will be available on U.P. Police website and also displayed at the place of Medical Examination. Medical Board may take services of any expert as per requirements.

(1) The doctors will examine the candidates in accordance with the Medical Manual, if any, and announce the result on the day of the Medical Examination.

(2) The result of the Medical Examination will be displayed on the notice board outside the premises at the end of the day.

(3) Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal in regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The appeal should be disposed of by the Medical Board, constituted for the same purpose within two weeks of the appeal being filed. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant.

(4) The members of the Medical Board who are found to give wrong report willfully will be liable for criminal proceedings.

(5) The Medical Examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list :

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of Uttar Pradesh Public Service (Physically Disabled, Dependent of Freedom Fighter and Reservation for Ex-servicemen) Regulation, 1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

NOTE:- The Medical Board will examine the candidates and their deficiencies such as knock knee, bow legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness, hearing test comprising of Rinne's Test, Webber's Test and tests for vertigo etc. as notified by the government from time to time. The Medical Board may get conducted other examinations after obtaining opinion of experts.

By order,
DEBASISH PANDA,
Pramukh Sachiv, Grih.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 546 राजपत्र-(हिन्दी)-2015-(1271)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० गृह (पुलिस)-2015-(1272)-1500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।